पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रवि कुमार सिन्हा

बनाम

बिहार राज्य

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1507

05 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता के दिवंगत पिता को ड्यूटी से अनधिकृत और लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय आदेश को सही ठहराया है?

हेडनोट्स

लेटर पेटेंट अपील---सेवा कानून----बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930---नियम 55---विभागीय जांच में आवश्यकताएँ---सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 24188 ऑफ 2013 में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपील जिसके तहत अपीलकर्ता के पिता को ड्यूटी से अनधिकृत रूप से 5 साल तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय आदेश को बरकरार रखा गया था।

निर्णय:- चूंकि अपीलार्थी के पिता ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी, जिसके संबंध में प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में और प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया था, और उसे सुने बिना जांच अधिकारी ने उसे दोषी पाया और अपीलार्थी के दिवंगत पिता के खिलाफ बड़ी सजा (बर्खास्तगी) का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था --- अपीलार्थी के दिवंगत पिता को जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया --- सेवा से हटाने का बड़ा दंड लगाया गया है --- ऐसी परिस्थिति में, जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए थी कि क्या दोषी कर्मचारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था --- यह इस न्यायालय के लिए चौंकाने वाला है कि सेवा से

हटाने का दंड इस कारण लगाया गया कि आरोप उस तरीके से साबित नहीं हुए, इस सीमा तक कि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने और उसके खिलाफ पेश किए गए गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। विभागीय जांच में ये सभी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं----विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है---इस आधार पर अपीलकर्ता ने बर्खास्तगी आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक मामला बनाया है और साथ ही सीडब्ल्यूजेसी संख्या 24188/2013 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में भी हस्तक्षेप किया है---अपीलकर्ता के पिता को जूनियर इंजीनियर के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से लेकर हटाने के आदेश पारित होने की तारीख तक परिणामी सेवा और मौद्रिक लाभ का हकदार माना गया---आक्षेपित आदेश को रद्द किया गया---एलपीए को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। **(पैरा- 7 से 11)**

न्याय दृष्टान्त

कर्नाटक राज्य बनाम उमेश, **(2022) 6** एससीसी **563 .....**पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; विभागीय कार्यवाही; जांच अधिकारी; कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति; सेवा से बर्खास्तगी; अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा; साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का अवसर; बहाली; परिणामी सेवा और मौद्रिक लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

22.06.2018 को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 24188/2013 में पारित आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री दीपक सहाय जमुआर, एसी टू एएजी-4

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2013 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 24188

में

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1507

==========

रवि कुमार सिन्हा, पुत्र- स्वर्गीय विजय कुमार सिन्हा, निवासी- क्वार्टर नंबर 2, टाइप-IV, भविष्य निधि एन्क्लेव, ब्लॉक-एच, शहीद भगत सिंह नगर, सिटी सेंटर के पास, बसंत एवेन्यू, लुधियाना, पंजाब-141013।

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव द्वारा बिहार राज्य, जल संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. कार्यकारी अभियंता, त्रिवेणीगंज नहर निर्माण प्रभाग, नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण।
4. निदेशक-सह-पूछताछ अधिकारी, जल प्रबंधन-सह-सिंचाई उपलब्धता सुधार निदेशालय, सिंचाई भवन, पटना।
5. अधीक्षक अभियंता-सह-लोक सूचना अधिकारी, सिंचाई निगरानी प्रकोष्ठ-316 (सिंचाई भवन), पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री नन्दकिशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री दीपक सहाय जमुआर, एसी से एएजी-4

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. डी. सिंह

सी ए भी निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. डी. सिंह)

तिथि - 05-05-2025

पक्षकारों को सुना।

2. अपीलार्थी ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 24188/2013 में पारित 22.06.2018 दिनांकित को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का विरोध किया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता त्रिवेणी नहर निर्माण उप-विभाग, कौरेवा, कैंप सिकटा में त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमंडल, नरकटियागंज के अंतर्गत वर्ष 2003-05 की अवधि में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित थे। वह 28.8.2003 के बाद से अनधिकृत तरीके से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने न तो कोई सरकारी कार्य किया और न ही लोकसभा चुनाव, 2004 के दौरान उन्होंने चुनाव कर्तव्य का पालन किया, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का पूर्ण उल्लंघन है। अपराधी कर्मचारी को 28.8.2013 के बाद से कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही पर विचार करने के लिए ज्ञापन संख्या -404 दिनांक 30.04.2005 (रिट याचिका के *अनुलग्नक-4*) द्वारा निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ सी. सी. ए. नियम, 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, जो कि प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का *अनुलग्नक* ए है। आरोप और साक्ष्य के साथ उक्त प्रस्ताव की एक प्रति कर्मचारी को विधिवत भेजी गई थी। हालाँकि, न तो उन्होंने दिनांक 25.4.2005 के पत्र में निहित कार्यकारी अभियंता के निर्देश के अनुपालन में मुख्यालय में अपनी नियुक्ति दी और न ही उन्होंने अपने स्थायी पते पर भी वैध नोटिस देने के बावजूद जांच अधिकारी के समक्ष अपना लिखित बचाव प्रस्तुत किया। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने एक व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में नोटिस को 26.6.2005 और 25.10.2005 पर संप्रेषित किया जो कि *अनुलग्नक*-बी श्रृंखला से

लेकर जवाबी हलफनामे तक स्पष्ट है। *अनुलग्नक*-बी श्रृंखला के साथ 23.5.2005 दिनांकित शुल्क ज्ञापन भी संलग्न है। पर्याप्त सूचनाओं के बावजूद, याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता मुख्यालय में शामिल होने के लिए नहीं आए और निलंबन आदेश की अनदेखी करना जारी रखा और साथ ही उनके खिलाफ आरोप भी बनाए गए। 30.12.2005 को, जाँच अधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें अपराधी के खिलाफ आरोप साबित किए गए। जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति जवाबी हलफनामे में *अनुलग्नक*-डी के रूप में संलग्न की गई है। 25.06.2010 को, अपराधी को दूसरा कारण-प्रदर्शन सूचना जारी किया गया था जिसका जवाब उसने 22.07.2010 पर दिया था और अंततः ज्ञापन संख्या- 1535 दिनांक 11.10.2020 के माध्यम से, अपराधी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

4. जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी जल्दबाजी में कुछ दिनों के भीतर विभागीय जाँच को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े और मामूली तरीके से अपीलार्थी के दिवंगत पिता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

5. इस संदर्भ में, दिनांक 11.10.2010 को पारित बर्खास्तगी आदेश को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

आ०स०- 22/ नि० सि०(मोती)-8-1/2005/189/पटना,

दिनांक 11-10-10

श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमंडल, कौरेवा, शि0-सिकरा (त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमंडल नरकटियागंज के अधीन) को स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से

मुख्यालय से अनुपस्थित रहने सरकारी कार्य का निष्पादन नहीं करने लोक सभा चुनाव कार्य 2004 में भाग नहीं लेना तथा अनुपस्थिति विवरणी निबंधित डाक से भेजने एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-37 सह ज्ञापांक 404 दिनांक 30.04.05 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) रूल्स 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-518 दिनांक 24.05.05 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय "निदेशक, जलप्रबंधन एवं सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना में श्री सिन्हा द्वारा योगदान नहीं दिया गया और न ही संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपना कोई लिखित बयान ही दिया गया। इस बीच संदर्भित आदेश एवं पत्रों का तामिला श्री सिन्हा के स्थाई पते पर कराने का प्रयास निष्फल होने पर दो बार क्रमशः दिनांक 26.06.2005 तथा दिनांक 25.10.2005 को समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई। फिर भी श्री सिन्हा द्वारा मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया। श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप को स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख करते हुए जाँच पदाधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई विभाग द्वारा किए जाने का अनुरोध किया गया । ऐसी स्थिति में आरोपों को स्वतः प्रमाणित मानते हुए क्यों नहीं सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय, इस बिन्दु पर श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक 960 दिनांक 25.06.10 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिन्हा द्वारा दिए गये द्वितीय कारण पृच्छा

का उत्तर दिनांक 22.07.2010 की समीक्षा एवं जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन जिसमें आरोप स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख है, की समीक्षा विभाग द्वारा की गई सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाए गए:-

(1) श्री सिन्हा द्वारा न तो निर्धारित मुख्यालय में योगदान ही किया गया एवं न ही विभागीय कार्यवाही में श्री सिन्हा उपस्थित हुए जबकि इसके लिए उनके निवास स्थान के पते पर निबंधित डाक से सूचना भेजी गई एवं प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दो बार दैनिक समाचार पत्र में सूचना भी प्रकाशित की गई।

(2) श्री सिन्हा को निलंबन की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात भी उनके द्वारा निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में आजतक योगदान नहीं किया गया है।

(3) आरोपित पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए जिसके फलस्वरूप जॉच पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आरोपों के स्वतः प्रमाणित होने का उल्लेख किया गया है।

(4) उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा के विरुद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाया गया:-

(क) विभागीय एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की जान बूझ कर अवहेलना करना।

(ख) मुख्यालय एवं कार्यस्थल से लगातार अनुपस्थित रहना एवं बिना कार्य किए ही वेतन भुगतान के लिए उच्चाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना।

(ग) मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण श्री सिन्हा, क० अ० द्वारा लोक सभा चुनाव- 2004 का चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पत्र को न तो प्राप्त किया गया और न निर्वाचन कार्य में ही भाग लिया गया।

श्री सिन्हा द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 30.04.05 के बाद से आजतक मुख्यालय में योगदान नहीं देने के कारण इनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति लगातार पाँच वर्षों से भी अधिक की हो चुकी है इसलिए बिहार सेवा संहिता के नियम- 76 के प्रावधान के तहत श्री सिन्हा बर्खास्तगी के दंड के पात्र भी हो चुके हैं।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। अतः उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, त्रिवेणी नहर निर्माण अवर प्रमंडल, कौरेवा, शि०-सिकटा (आई०डी०जे०-4505) को आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा से बर्खास्त (dismiss) किया जाता है।

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक - 1535 दिनांक - 11.10.10

प्रतिलिपि:- सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ निदेशक जल प्रबंधन एवं सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना/ अधीक्षण

अभियंता तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/ कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज/ प्रभारी वायोडाटा/ कम्प्यूटर कोषांग/ प्रबंधन सूचना प्रणाली कोषांग, जल संसाघन विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी- 7,9,12 एवं 22 जल संसाधन विभाग/ श्री विजय कुमार सिन्हा, सुपुत्र श्री राम चन्द्र प्रसाद, ग्राम एवं मो०- दुग्गल, भाया- रफीगंज, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

6. अपीलार्थी के दिवंगत पिता वर्ष 1979 में कनिष्ठ अभियंता के रूप में शामिल हुए और उसके बाद दोषी कर्मचारी स्व. विजय कुमार सिन्हा की सेवाओं को 13 जनवरी, 1987 को स्थायी घोषित किया गया, उन्हें पहली समयबद्ध पदोन्नति 17.05.1993 को प्रदान की गई तथा 31.03.2003 तक उनकी सेवाओं के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई। 24.02.2002 पर, उन्हें त्रिवेणीगंज नहर में स्थानांतरित कर दिया गया और 9 अप्रैल, 2003 को उनका जुड़ना स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अपीलार्थी के दिवंगत पिता ने उनकी नियुक्ति की स्वीकृति के लिए सी.डब्ल्यू.जे.सी. मामला संख्या- 1807/2001 दायर किया और विभाग द्वारा वेतन/भुगतान को रोक दिया गया और इसे 07.07.2004 पर अनुमति दी गई, जिसमें संबंधित प्राधिकारी को बकाया राशि रू 52,496.00 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अपराधी कर्मचारी को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी के दिवंगत पिता ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अपूर्ण अनुपालना हेतु एम.जे.सी. संख्या 470/2005 दायर की तथा उक्त अवमानना याचिका में प्रतिवादी अधिशासी अभियंता ने 18 मार्च, 2005 को 3,95,850/- रूपये के भुगतान हेतु आदेश जारी किया तथा अपीलार्थी के दिवंगत

पिता को दिनांक 25.04.2005 के पत्र द्वारा मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी के दिवंगत पिता को दिनांक 30 अप्रैल, 2005 को निलम्बित कर दिया गया तथा ज्ञापन संख्या 1535 दिनांक 11.10.2020 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

7. इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि चूंकि अपीलार्थी के पिता ने संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी, जिसके बारे में जवाबी कार्रवाई के रूप में और प्रतिशोधी दृष्टिकोण अपनाते हुए, उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया था, और उसे सुने बिना जांच अधिकारी ने उसे दोषी पाया और अपीलार्थी के दिवंगत पिता के खिलाफ बड़ी सजा (बर्खास्तगी) का *एकतरफा आदेश* पारित किया गया था।

8. इन दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के दिवंगत पिता को जाँच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सेवा से हटाने का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जॉच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण को इस बात की जाँच करनी चाहिए थी कि क्या अपराधी कर्मचारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इन मुद्दों पर विद्वान एकल न्यायाधीश का ध्यान नहीं दिया गया है। ये कानूनी मुद्दे हैं, जहां तक साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देने का सवाल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य बनाम उमेश*** के मामले में ***(2022) 6 एससीसी 563*** में विस्तार से विचार किया कि किन परिस्थितियों में रिट कोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ-22 इस प्रकार है:-

*"**22.** न्यायिक* समीक्षा के प्रयोग में, न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय उन साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिनके आधार पर अनुशासनात्मक जांच के दौरान कदाचार का निष्कर्ष निकाला गया है। न्यायिक समीक्षा के प्रयोग में न्यायालय को अपनी समीक्षा को इस बात तक सीमित रखना चाहिए कि:

(i) प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है।

(ii) दुराचार का निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित है।

(ग) अनुशासनात्मक जाँच के संचालन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन किया गया है; और

(iv) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष विकृति से ग्रस्त हैं; और

(v) दंड सिद्ध कदाचार के अनुपात में नहीं है। [कर्नाटक राज्य बनाम एन. गंगराज, (2020) 3 एससीसी 423:(2020) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 547; भारत संघ बनाम जी. गनयुथम, (1997) 7 एस. सी. सी. 463: 1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1806; बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995) 6 एस. सी. सी. 749: 1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 80; आर. एस. सैनी बनाम पंजाब राज्य, (1999) 8 एससीसी 90: 1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1424 और सी. आई. एस. एफ. बनाम अबरार अली, (2017) 4 एस. सी. सी. 507: (2018) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 310] ।"

रेखांकित की गई ।

9. अपीलार्थी का मामला उपर्युक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कर्नाटक राज्य का मामला (उपर्युक्त)*** निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होगा। इस हिसाब से अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है ताकि सी. डब्ल्यू. जे. सी. मामला संख्या-24188/2013 में पारित दिनांक 25.06.2010 के बर्खास्तगी आदेश और इसी तरह विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.06.2018 के आदेश में भी हस्तक्षेप किया जा सके।

10. इस स्तर पर, हमने देखा है कि निष्कासन आदेश को रद्द करने की स्थिति में क्या परिणाम होगा, इस तथ्य के मद्देनजर कि अपीलकर्ता के दिवंगत पिता इस कारण से बहाली के हकदार नहीं हैं कि यदि वे जीवित होते और सेवा में होते तो वे 25.04.2011 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेते और सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते, इसलिए बहाली का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, यह 20 वर्षों के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण को रिमांड का मामला नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के दिवंगत पिता को अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना *एकतरफा आदेश* पारित करने में त्रुटियां की है। इस बिंदु पर अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है।

11. चाहे जो भी हो, अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को इस कारण से सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने के बारे में सचेत करना चौंकाने वाला है कि आरोप इस हद तक साबित नहीं हुए कि उसे सबूत पेश करने और उसके खिलाफ पेश किए गए गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था। विभागीय जाँच में ये सभी अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप को ध्यान में रखते हुए, हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति 25.06.2010 तिथि के दंड के अधिरोपण की सीमा तक

दिनांकित 25.06.2010 सेवा से हटाने के दंड को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के दिवंगत पिता कनिष्ठ अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से 25.06.2010 तक परिणामी सेवा और मौद्रिक लाभों के हकदार हैं, जिस तारीख को हटाने का आदेश पारित किया गया था और इसे हमारे द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित किया गया है।

12. उपर्युक्त मध्यवर्ती अवधि के लिए, अपीलकर्ता के दिवंगत पिता परिणामी मौद्रिक लाभों के हकदार हैं और उनकी गणना की जाएगी और उनका वितरण किया जाएगा। यदि उनके द्वारा धारित पद पेंशन योग्य पद है, तो उस स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी को 25.06.2010 से पेंशन निर्धारित करने और अपीलकर्ता को 15.01.2024 तक पेंशन के बकाए की गणना और वितरण करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान अपीलकर्ता की मां, जो अपने पति की पारिवारिक पेंशन की वैध प्राप्तकर्ता थी, की मृत्यु 15.01.2024 को हो चुकी है। उपरोक्त कार्य इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

13. तदनुसार, 2013 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 24188 में पारित 22.06.2018 दिनांकित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

14. एल.पी.ए. को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

(एस. बी. पी. डी. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।